**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1486**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रक्रिया से असम को बाहर रखना**

**1486. श्री सुशील कुमार गुप्ताः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की कवायद असम को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रैल और सितम्बर, 2020 के बीच जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत घरों के सूचीकरण के साथ की जाएगी;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) इस प्रक्रिया से असम को बाहर रखने के क्या कारण हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) और (ख): नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निरूपित की गई नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने असम को छोड़कर देश भर में दिनांक 01 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2020 के बीच मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के साथ जनसंख्या रजिस्टर तैयार और अपडेट करने का निर्णय लिया है।

(ग): माननीय उच्‍चतम न्यायालय के निदेश पर, शामिल किए गए व्यक्तियों की अनुपूरक सूची की हार्ड कॉपी और निकाले गए व्यक्तियों की परिवार-वार ऑनलाइन सूची दिनांक 31 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), असम में प्रकाशित की जा चुकी है।

\*\*\*\*\*